राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/लेवल–II/2017–18/ 35895

दिनांकः 30/08/2018

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–1/2017–18 दिनांक 28.08.2017 के तहत **अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1–5) सामान्य (टीएसपी) ग्रेड III** सीधी भर्ती 2017 हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर आरटेट/रीट के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर पूर्व में जारी नियुक्ति आदेशों में कार्यारम्भ नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर अस्थायी चयन सूची के अतिरिक्त रिक्तियों के 50 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) निर्मित कर पात्रता जांच हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु **दिनांक 26.09.2018** को आमंत्रित किया जाता है–

| S.No. | Candidate Name | Father Name | DOB | Application No | Home District | Gender | Category | Maritial Status | REET/RTET % | Call Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHARMENDRA PATIDAR | DHULJI PATIDAR | 02-02-1993 | 201700908451 | BANSWARA | Male | GENERAL | Married | 69.33 | General |
| 2 | DINESH CHANDRA CHARPOTA | LADAJI CHARPOTA | 27-06-1985 | 201700903962 | BANSWARA | Male | S.T | Married | 62 | Call ST Waiting |

1 यह प्रतीक्षा सूची (Waiting List) पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों,प्रमाण पत्रों/अंकतालिकाओं से मिलान के उपरान्त अन्तिम सूची जारी की जायेगी। विभाग द्वारा जारी अस्थायी चयन सूची में अंकित अभ्यर्थियों द्वारा अपात्र होने अथवा अनुपस्थित होने की स्थिति में उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में अंकित अभ्यर्थियों में से चयन किया जायेगा। उपर्युक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन विभाग द्वारा पूर्व में किया जा चुका है, उन्हें पुनः सत्यापन हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु पूर्व सत्यापन के समय बकाया दस्तावेज उक्त तिथि तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। बकाया दस्तावेज नियत तिथि तक प्रस्तुत न करने की स्थिति में पात्रता समाप्त समझी जायेगी।

2 उपर्युक्त अस्थायी प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में अंकित कटऑफ प्रतिशत से अधिक प्रतिशत अंक होते हुए भी उक्त विज्ञापन के तहत आवेदित किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नही हो अथवा कटऑफ सम्बन्धी शिकायत हो तो **दिनांक 20.09.2018** को कार्यालय समय सायं 6.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन की हार्ड प्रति, त्रुटि/शिकायत के विवरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र एवं त्रुटि/शिकायत की पुष्टि सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों के साथ निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में अभ्यावेदन प्रस्तुत करावें। **दिनांक 20.09.2018** के पश्चात् प्राप्त परिवेदनाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3 उपर्युक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों को आदेश में अंकित तिथि को प्रातः 10.00 बजे संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जयपुर संभाग, जयपुर पता ई–179, संस्कृत भवनम्, रमेश मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (दूरभाष नं. 0141–2221077) पर समस्त मूल दस्तावेज (शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक) मय ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति (हार्ड कापी) के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना हैं।

4 समस्त अभ्यर्थियों को अपने साथ सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उपर्युक्त सूची जारी होने की तिथि के बाद की तिथि का चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र भी साथ लाना होगा। चरित्र सत्यापन जारी नहीं होने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5 विभागीय वेवसाईट (http://rajsanskrit.nic.in)पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर समस्त वांछित दस्तावेजों की फोटोप्रति निर्देशानुसार संलग्न कर साथ लाना अनिवार्य है।

6 राजस्थान राज्य से बाहर की डिग्री होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संबधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मान्यता की पुष्टि का प्रमाण तथा प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता की पुष्टि का प्रमाण साथ लाना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को चयनित कर लिया जायेगा।

7 सत्यापन हेतु उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

निदेशक
संस्कृत शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर